भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 181
सोमवार, 2 फरवरी, 2026 (13 माघ, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना के अंतर्गत विस्तार

181. श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाईः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उड़ान योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय हवाई संपर्क विस्तार का मूल्यांकन किया है, जैसा कि मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन, 2025 में उल्लेख किया गया है;

(ख) वर्ष 2024-25 के दौरान प्रचालित किए गए नए मार्गों, विमानपत्तनों और हेलीपोर्टों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) वित्तीय संधारणीयता, यात्रियों के लिए वहनीयता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2025-26 में विमानपत्तन अवसंरचना और हवाई यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): दिनांक 20.01.2026 तक, 'उड़ान' योजना के तहत 73 असेवित और 20 अल्पसेवित हवाईअड्डों सहित 93 हवाईअड्डों को विकसित और प्रचालनरत किया गया है, जिसमें 15 हेलीपोर्ट और 2 वॉटर एयरोड्रोम शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 66 मार्गों और 6 हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों को प्रचालनरत किया गया।

(ग) और (घ): क्षेत्रीय हवाई यात्रा को किफायती बनाए रखने के लिए, आरसीएस-उड़ान योजना के तहत एयरलाइनों को केंद्रीय/राज्य सरकार के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है और लागत-राजस्व अंतर को कम करने के लिए हवाईअड्डा प्रचालक को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सहित रियायतें प्रदान की जाती हैं। वीजीएफ सहायता-प्राप्त आरसीएस सीटों के लिए हवाई किरायों को त्रैमासिक सूचकांक सहित सब्सिडी दरों पर सीमित रखा जाता है। ये उपाय वहनीयता, पहुंच और यात्री सुविधा को बढ़ाते हैं, क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) नियमित निगरानी, औचक जांच और ऑडिट सहित सुदृढ़ निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से विमानन संरक्षा सुनिश्चित करता है। यह निरीक्षण के लिए वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) का अनुपालन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऑडिट निष्कर्षों पर सत्यापित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

हवाईअड्डों पर अवसंरचना सुविधाओं/यात्री सुविधाओं का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) या हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा, राज्य सरकारों के समन्वय से, प्रचालन आवश्यकताओं, यातायात, मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, आदि के आधार पर की जाती है।

******